सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी—बाडमेर
(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सं.:— 2021/195(94/21) दर्ज तिथिः—26.08.2021

1. अचलाराम वल्द ताजाराम
2. आसूराम वल्द ताजाराम
3. ईशराराम वल्द ताजाराम
4. रूपाराम वल्द ताजाराम
5. कसूम्बी पत्नी ताजाराम
6. किसना वल्द देदाराम
7. खंगाराराम वल्द हीराराम
8. डूंगराराम वल्द हीराराम
9. रामाराम वल्द हीराराम
10. हुकमाराम वल्द हीराराम
11. खेतूदेवी पत्नी हीराराम
12. पदमाराम वल्द देदाराम फौत के कायम मुकाम
    12/1 माना वल्द पदमा
    12/2 रामूदेवी पत्नी पदमाराम
    12/3 कुम्भा फौत के कायम मुकाम कमला पत्नी कुम्भा
    12/3/1 हनुमान पुत्र कुम्भा
    12/3/2 टीपू पुत्री कुम्भा
    12/3/3 भगवती पुत्री कुम्भा
    12/3/1,12/3/2,12/3/3 नाबालिग कु0 वलि माता कमलादेवी पत्नी कुम्भाराम
13. खेमा वल्द दानाराम
14. हनुमान वल्द दानाराम
15. गुमनीदेवी पत्नी दानाराम
    जाति जाट निवासी सोनगिरी की ढाणी तहसील गुढामालानी जिला बाड़मेर।

— प्रार्थी

<u>बनाम</u>

1. ताजाराम वल्द हीराराम
2. मेहराजराम वल्द खेराजराम
3. शेराराम वल्द खेराजराम
4. हेमीदेवी पत्नी खेराजराम
5. पूनमाराम वल्द रतनाराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.06.11 10:19:35 IST
Reason: SelfAttested

6. पोकरराम वल्द रतनाराम
7. हरजीराम वल्द रतनाराम
8. हस्तूदेवी पत्नी अमरराम
9. कोसलाराम वल्द श्यामा
10. वालाराम वल्द रतनाराम
11. अमरराम वल्द प्रभुराम जाति जाट निवासी हीराणी तरडों की ढाणी तहसील गुढामालानी
12. उदा वल्द चेनाराम
13. पेमा वल्द मगाराम
14. पूनमा वल्द मगाराम जाति जाट निवासी सोनगिरी की ढाणी
15. अदराराम वल्द मानाराम
16. नेनूदेवी पत्नी मानाराम
17. नरपतराम वल्द मिसरराम
18. प्रेमकुमार वल्द मिसराराम
19. मेवाराम वल्द मिसराराम
20. रतनीदेवी पत्नी मिसराराम
21. सुजोदेवी पत्नी जवानाराम
22. गंगादेवी पत्नी माधाराम
23. तोगाराम वल्द माधाराम
24. मूलाराम वल्द माधाराम
25. शंकराराम वल्द माधाराम जाति सुथार निवासी हीराणी तरडों की ढाणी
26. अजाराम वल्द पूराराम
27. गेरों पत्नी अजाराम
28. नेनूदेवी पत्नी पूराराम
29. नारणाराम वल्द पूराराम
30. पुरखाराम वल्द पूराराम
31. बेनाराम वल्द पूराराम
32. भीमाराम वल्द पूराराम
33. लाधाराम वल्द पूराराम
34. रमकू पत्नी वेनाराम जाति कलबी निवासी हीराणी तरडों की ढाणी
35. नाथाराम वल्द देवाराम
36. राणा वल्द देवाराम जाति कलबी निवासी हीराणी तरडों की ढाणी
32. सांवलाराम वल्द भारमलराम जाति रबारी निवासी सोनगिरी की ढाणी
33. मरगों पत्नी गोवाराम
34. हरा वल्द दीपाराम जाति मेगवाल निवासी डेडावास का गोलिया
35. चौथी पत्नी मोडाराम
36. बाबूराम वल्द मोडाराम
37. भेराराम वल्द मोडाराम
38. सकाराम वल्द मोडाराम जाति मेगवाल निवासी हीराणी तरडों की ढाणी
39. गिरधारीराम वल्द पूनमाराम
40. छेलसिंह वल्द पूनमाराम
41. तगाराम वल्द पूनमाराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.06.11 10:19:35 IST
Reason: SelfAttested

42. गोवा वल्द बुधरा
43. जेठा वल्द बुधरा
44. घेवरचन्द वल्द हरजीराम
45. पुखराज वल्द हरजीराम
जाति ब्राहमण निवासी हीराणी तरडों की ढाणी तहसील गुढामालानी जिला बाड़मेर।

......................असल अप्रार्थीगण

46. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुढामालानी।

..............तरतीबी अप्रार्थी

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीगणः—श्री चिमनसिंह चौधरी
अप्रार्थीगणः—श्री डालूराम चौधरी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—128
राजस्थान भू—राजस्व अधि—1956

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः—10.06.2024

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—128 राजस्थान भू—राजस्व अधि—1956 वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की हाल आराजी खसरा संख्या 249/4.5972 हैक्टेयर वांके ग्राम सोनगिरी की ढाणी एवं खसरा संख्या 217/5.4390 है0, 225/0.0971 है0, 225/2/0.1052 है0, 226/0.0486 है0, 227/23.8198 है0, 228/12.9742 है0, 236/4. 4758 है0 वाकै ग्राम हीराणी तरडों की ढाणी तहसील गुढामालानी जिला बाड़मेर में स्थित है। उक्त वर्णित आराजी प्रार्थीगण की कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी है एवं आराजी पर प्रार्थीगण काबिज रहकर बिना किसी बाधा वो रूकावट के काश्त करते चले आ रहे है। उक्त खातेदारी आराजी से अप्रार्थीगण का कोई हक संबंध किसी प्रकार का नहीं है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की आराजी के कार्यकाश्त में बाधा डालते हैं। उक्त आराजी का मौके पर सीमांकन नहीं होने से प्रार्थीगण द्वारा सीमांकन कराए जाने बाबत तहसीलदार गुढामालानी के यहां प्रार्थना—पत्र पेश किया जिस पर तहसीलदार गुढामालानी द्वारा दिनांक 16.07.2021 को मौके पर उपस्थित होकर उक्त आराजी का सीमांकन कराकर निशानदेही कराई गई। परन्तु अप्रार्थीगण पैमाईश को नहीं मान रहे है तथा प्रार्थीगण की आराजी को अपनी आराजी में मिलाना चाहते है। अब प्रार्थीगण मुताबिक पैमाइश रिपोर्ट दिनांक 16.07.2021 के आधार पर आराजी की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है। अंत में प्रार्थना—पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर आराजी उक्त की पत्थरगढ़ी मुताबिक पैमाइश के अनुसार कराए जाने के आदेश जारी करने का निवेदन किया गया।

2. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा शेष अप्रार्थीगण बावजूद विधिवत तामील अनुपस्थित होने के कारण उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.06.11 10:19:35 IST
Reason: SelfAttested

में लाई गयी। प्रकरण में तहसीलदार गुढामालानी को पत्र क्रमांक कोर्ट/2024/217 दिनांक 11.03.2024 द्वारा बिन्दुवार विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट निर्धारित चैकलिस्ट में तैयार करने हेतु लिखा गया। जिसकी पालना में पटवार हल्का भेडाणा ने दिनांक 08.04.2024 को मौके पर जाकर निर्धारित चैकलिस्ट में बिन्दुवार विस्तृत तथ्यात्मक तैयार कर न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की।

3. न्यायालय द्वारा विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना—पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना—पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर आराजी की मुताबिक पैमाइश दिनांक 16.07.2021 के अनुसार पत्थरगढ़ी के आदेश जारी करने का निवेदन किया है। तथा अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 के अधिवक्ता द्वारा अप्रार्थीगण के कब्जा काश्त को छोड़ते हुए नेखम कार्यवाही करने का कथन किया।

4. मैंने बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण व अप्रार्थी पर मनन किया। प्रकरण में सर्वप्रथम राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—111 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः—

> ***111. Decision of disputes as to boundaries.**—(1) In case of any dispute concerning any boundaries the Land Records Officer shall decide such dispute, so far as possible, on the basis of the existing survey maps and, where this is not possible or such maps are not available, on the basis of actual possession.*
>
> *(2) If, in the course of an inquiry into a dispute under this section the Land Records Officer is unable to satisfy himself as to which party is in the possession or it if is shown that possession has been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of three months previous to the commencement of the inquiry, the Land Records Officer shall ascertain by summary inquiry who is the party best entitled to possession and shall then fix the boundary accordingly.*

5. राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—111 के अनुसार खसरों की सीमाओं के विवाद को हाल राजस्व नक्शे के अनुसार तथा हाल राजस्व नक्शे के उपलब्ध न होने पर वास्तविक कब्जे के आधार पर निस्तारित किये जाने के प्रावधान बनाये गये है। खसरों की सीमाओं के विवाद को निस्तारित करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—128 के तहत प्रावधान बनाये गये है। अतः प्रकरण में साथ ही राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—128 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः—

> ***128. Boundary disputes.** - All disputes concerning boundaries shall be decided by the Land Record Officer in the manner laid down in section 111:*
>
> ***Provided that** applications in relation to boundaries of fields may be made to and disposed of by the Tehsildar in cases where there exists no dispute as such but where on account of the absence of proper boundary marks there is the likelihood of such a dispute arising.*

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.06.11 10:19:35 IST
Reason: SelfAttested

6. उक्त विधिक प्रावधानों के संदर्भ में पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2074—77, 2070—2073 वाकै ग्राम सोनगिरी की ढाणी व हीराणी तरडों की ढाणी में राजस्व इन्द्राज एवं तहसीलदार गुढामालानी द्वारा किये गये सीमांकन रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड वाके ग्राम सोनगिरी की ढाणी व हीराणी तरडों की ढाणी के अंकित इन्द्राज के अनुसार उक्त आराजी प्रार्थीगण की सालिम खातेदारी की आराजी होना साबित है। साथ ही संलग्न रिपोर्ट पैमाइश दिनांक 16.07.2021 से भी यह तथ्य प्रार्थीगण साबित है कि प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार नौखडा के माध्यम से हल्का पटवारी से युक्त वर्णित आराजी की पैमाइश कराई जा चुकी है। सीमाज्ञान रिपोर्ट में पटवारी हल्का द्वारा मौके पर आराजी खसरा 249, 217, 225, 225/2, 226, 227, 228, 236 को मुस्तकिल बिन्दु मानकर सीमाज्ञान किया। मौके पर प्रार्थीगण को सीमाचिह्न बताकर प्रार्थीगण को संतुष्ट किया गया है। तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार उक्त वर्णित आराजी की खसरे की सीमाओं को लेकर अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद है। इस प्रकार प्रार्थीगण की अपनी कब्जेशुदा खातेदारी आराजी की सुरक्षा तथा सीमा विवाद के निस्तारण हेतु पत्थरगढ़ी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर आदेश जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना—पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा—128 भू—राजस्व अधिनियम—1956 के बाबत् पत्थरगढ़ी किये जाने का स्वीकार किया जाता है। हाल आराजी खसरा संख्या 249/4.5972 हैक्टेयर वांके ग्राम सोनगिरी की ढाणी एवं खसरा संख्या 217/5.4390 है0, 225/0.0971 है0, 225/2/0.1052 है0, 226/0.0486 है0, 227/23.8198 है0, 228/12.9742 है0, 236/4.4758 है0 वाकै ग्राम हीराणी तरडों की ढाणी तहसील गुढामालानी जिला बाड़मेर पर प्रार्थीगण एवं संबंधित पक्षकारों/हितधारकों की पूर्व सूचित उपस्थिति में खातेदारी आराजी पर पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश तहसीलदार गुढामालानी को दिये जाते हैं एवं साथ ही निर्देश दिये जाते हैं कि अप्रार्थीगण को मौके पर उपस्थित रहने बाबत जरिये नोटिस पूर्वसूचित करते हुए पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट न्यायालय को अवगत करायें। पक्षकार अपना—अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

आदेश प्रति पालनार्थ हेतु तहसीलदार गुढामालानी को भिजवाई जावें। अहकाम पृथक से जारी किया जावे।

यह आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 10.06.2024 को लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर युक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.06.11 10:19:35 IST
Reason: SelfAttested